

प्रेस नोट थाना गगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 08.04.2024

कूटरचित दस्तावेजों द्वारा अवैध पासपोर्ट बनवाने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष गगहा के नेतृत्व में उ0नि0 विजय प्रताप सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 529/2023 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त रामेश्वर कुमार पुत्र मन्नीलाल यादव निवासी ग्राम सीयर थाना गगहा जनपद गोरखपुर को जिसके विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी कराया गया था तथा जिसे दिनांक 02.04.2024 को कोलकता एयरपोर्ट माईग्रेशन विभाग द्वारा गिरफ्तार कर स्थानीय थाने एन0एस0 सीबीआई एयरपोर्ट कोलकता को सुपुर्द किया गया था जिसे मा0न्या0 एसीजेएम बैरकपुर नार्थ 24 परगना कोलकता द्वारा ट्रांजिट रिमांड पर प्राप्त कर लेकर दिनांक 07.04.2024 को थाना हाजा लाकर दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त रामेश्वर कुमार उपरोक्त द्वारा अवैध तरीके से कूटरचित दस्तावेजों द्वारा 02 पासपोर्ट बनवा लेने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 529/2023 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रामेश्वर कुमार पुत्र मन्नीलाल यादव निवासी ग्राम सीयर थाना गगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 529/2023 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 विजय प्रताप सिंह सिंह थाना गगहा जनपद गोरखपुर
2. का0 विजय बहादुर गुप्ता थाना गगहा जनपद गोरखपुर
3. का0 मनीष यादव थाना गगहा जनपद गोरखपुर